न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः– अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 17 / 2012 प्रार्थना पत्र (रेफरेन्स)

जी.सी.एम.एस. नंबर 2012 / 00059

सरकार जरिये तहसीलदार(भू.अ.) वल्लभनगर

..............................प्रार्थी

बनाम

1. श्री लच्छीराम पिता भेरूलाल निवासीः अगोरिया
2. डाली बाई बेवा भेरूलाल निवासीः अगोरिया
3. रामचन्द्र पिता हीरालाल निवासीः अगोरिया
4. मांगू पिता डालू निवासीः अगोरिया
5. बोती बाई बेवा मांगू निवासीः अगोरिया
6. प्रेमशंकर दत्तक पुत्र जीतमल निवासीः अगोरिया
7. टमू बाई बेवा जीतमल लोहार निवासीः अगोरिया

.......................विपक्षी

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 21-10-2024

पत्रावली में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी संख्या 774 / 1क रकबा 10 बिस्वा एवं आराजी संख्या 774 / 1ख रकबा 5 बिस्वा ग्राम अगोरिया में स्थित होकर प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। आराजी नंबर 774 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा सन् 1947 इस इसके पश्चात् भूमि की किस्म नाली दर्ज था परन्तु जमाबंदी सवंत् 2052 से 2055 तक के खाता संख्या 1 किस्म बा.III से श्री लक्ष्छीराम पुत्र भेरूलाल वगैराह निवासीः अगोरिया के नाम जरिये आवंटन दर्ज कर दिया गया। राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रेकर्ड के दर्ज झाल, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकारी उद्भूत नहीं होते है, इसलिए बिन्दु संख्या 2 में अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536 / 03 अब्दूल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.04 के द्वारा नदी नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने के निर्देश है। अतः निवेदन है कि आराजी संख्या 774 / 1क रकबा 10 बिस्वा एवं आराजी

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 17/12 प्रा. पत्र (रेफरेन्स)
सरकार बनाम लच्छीराम
जी.सी.एम.एस. नंबर 2012/00059

ख्या 774/1ख रकबा 5 बिस्वा ग्राम अगोरिया को वापस राजकीय भूमि गैर काबिल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना विपक्षीगण अनुपस्थित, जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम अगोरिया आराजी संख्या 774/1क रकबा 10 बिस्वा एवं आराजी संख्या 774/1ख रकबा 5 बिस्वा किस्म नाली दर्ज थी। परन्तु ज़माबंदी सवंत् 2052 से 2055 तक के खाता संख्या 1 किस्म बा.III से श्री लक्ष्छीराम पुत्र भेरूलाल वगैराह निवासीः अगोरिया के नाम जरिये आवंटन दर्ज कर दिया गया। जो डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 के विरूद्ध हो कर माननीय न्यायालय की अवमानना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि को पुनः बिलानाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ता पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर संलग्न जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 अनुसार आराजी नंबर 774 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि राजकीय बिलानाम मिलकीयत सरकार गैर काबिल काश्त नाली दर्ज थी। परन्तु जमाबंदी सवंत् 2052 से 2055 तक के खाता संख्या 1 किस्म बा.III से श्री लक्ष्छीराम पुत्र भेरूलाल वगैराह निवासीः अगोरिया के नाम जरिये आवंटन दर्ज कर दिया गया। जो डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 के विरूद्ध होकर माननीय न्यायालय की अवमानना है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार वल्लभनगर का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम अगोरिया के आराजी संख्या 774/1क रकबा 10 बिस्वा एवं आराजी संख्या 774/1ख रकबा 5 बिस्वा जो विपक्षीगण को आवंटित हुई थी के नाम हटाया जाकर भूमि को

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 17/12 प्रा. पत्र (रेफरेन्स)
सरकार बनाम लच्छीराम
जी.सी.एम.एस. नंबर 2012/00059

पूर्ववत बिलानाम सरकार नाली दर्ज किया जाना आवश्यक हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान कि जाती हैं।

निर्णय की प्रति तहसीलदार वल्लभनगर को प्रेषित कर लिखा जावे कि आदेश की अनुपालना में रेफरेन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर